



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266930
CG-DL-E-14102025-266930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4528]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947

No. 4528]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4657(अ).— भारत सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 9 जुलाई, 2024 को प्रकाशित भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की दिनांक 5 जुलाई 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2662 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में:

(क) “धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन मनोनीत सदस्य” शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 2, 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती है, अर्थात्: -

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य		
क्रम सं.	सदस्यों का नाम और पता	पदनाम
"2.	डॉ. पी. एस. पटेल, निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य

3.	डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, आयुक्त (पशुपालन), पशुपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
4.	डॉ. आनंद शेजरा, निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य".

(ख) "धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत मनोनीत सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 6 और 9 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती है, अर्थात्: -

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य		
क्रम सं.	सदस्यों का नाम और पता	पदनाम
"6.	डॉ. पी. एच. टांक, कुलपति, कामधेनु विश्वविद्यालय, गुजरात	सदस्य
9.	डॉ. जतिंदर पॉल सिंह गिल, कुलपति, गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, पंजाब	सदस्य".

[फा. सं. के-12052-7/1/2019-एलएच-(E-14350)]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

नोट.- मूल अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई, 2024 के का.आ. 2662 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2025

S.O. 4657(E).— In exercise of powers conferred by sub-sections (3) and (6) of section 3 **read with sub-section (2) of section 5** of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry, *vide* number S.O. 2662 (E), **dated the 5th July, 2024**, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the **9th July, 2024**, namely:-

In the said notification:

(a) Under the heading "Members nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 3", for serial numbers 2, 3, and 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely:-

Members nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 3		
Sl. No.	Name and address of members	Designation
"2.	Dr. P. S. Patel, Director, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of Madhya Pradesh	Member
3.	Dr. Pravinkumar Deore, Commissioner (AH), Department of Animal Husbandry, Government of Maharashtra	Member
4.	Dr. Anand Shejara, Director, Department of Animal Husbandry, Government of Rajasthan	Member".

(b) Under the heading “Members nominated under clause (b) of sub-section (3) of section 3”, for serial numbers 6 and 9 entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:

Members nominated under clause (b) of sub-section (3) of section 3		
Sl. No.	Name and address of members	Designation
"6.	Dr. P. H. Tank, Vice Chancellor, Kamdhenu University, Gujarat	Member
9.	Dr. Jatinder Paul Singh Gill, Vice Chancellor, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Science University, Punjab	Member".

[F. No. K-12052-7/1/2019-LH-(E-14350)]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2662 (E) dated the 5th July, 2024.